न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 108/2021

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथराम, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अ.

अनवान

प्रार्थी – 1.रावताराम पुत्र मेराजराम, जाति कुम्हार
निवासी रतासर, तहसील तहसील चौहटन

बनाम

विप्रार्थीगण – 1.तहसीलदार चौहटन 2.डूंगरा 3.जगमान पि.खुमा
4. भंवराराम 5.राणाराम 6.जोगाराम 7.रामाराम
8.तिलोकाराम पि.बीजाराम 9.चम्पादेवी पत्नि बीजाराम
10.लिखमाराम पुत्र किशनाराम 11.केसराराम पुत्र बुदरा
12.नेनुदेवी पत्नि बुदरा, जाति कुम्हार
निवासी रतासर, तहसील चौहटन

अधिवक्तागण –

प्रार्थी :– **श्री विक्रमसिंह भाटी**

विप्रार्थीगण :– **श्री उम्मेदसिंह सोढ़ा (विप्रार्थी सं. 2 से 12)**

निर्णय

दिनांक :– 11.10.2022

प्रार्थी के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं विप्रार्थी सं. 2 से 12 के संयुक्त एवं पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा रतासर में खसरा सं. 62 रकबा 00.05 बीघा, खसरा सं. 66 रकबा 32.02 बीघा, खसरा सं. 438/63 रकबा 40.14 बीघा एवं मौजा खीचड़ों की ढाणी (जैसार) में खसरा सं. 411/75 रकबा 110.04 बीघा का आया हुआ है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं विप्रार्थी सं. 2 से 12 के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है परन्तु जमाबन्दी के संधारण के समय प्रार्थी का वास्तविक नाम रावताराम अंकित न कर [illegible] स्थान पर राजू अंकित कर दिया जो गलत है क्योंकि प्रार्थी का वास्तविक [illegible] करवाने का प्रार्थी अधिकारी है। इस हेतु आवेदन पेश कर इस्तदुआ [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.11.21 15:42:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी सं. 2 से 12 की ओर से अधिवक्ता श्री उम्मेदसिंह सोढ़ा ने वकालतनामा मय ईकबालिया जवाब पेश किया। नाम दुरस्ती संबंधी रिपोर्ट हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा गया। तहसीलदार चौहटन से रिपोर्ट प्राप्त हुई। उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। सलंग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। चूंकि विप्रार्थीगण अधिवक्ता को प्रार्थी का नाम दुरस्त करने में कोई आपति नहीं है तथा तहसीलदार चौहटन की रिपोर्ट में भी प्रार्थी का नाम राजू पुत्र मेहराज के स्थान पर रावताराम पुत्र मेराजराम दुरस्त करने की अनुशंषा की गई है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 136 RLR Act का स्वीकार किया जाकर मौजा रतासर में खसरा सं. 62 रकबा 00.05 बीघा, खसरा सं. 66 रकबा 32.02 बीघा, खसरा सं. 438/63 रकबा 40.14 बीघा एवं मौजा खीचड़ों की ढाणी (जैसार) के खसरा सं. 411/75 रकबा 110.04 बीघा में दर्ज प्रार्थी का नाम राजू पुत्र मेहराज के स्थान पर रावताराम पुत्र मेराजराम दुरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 11.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

(भागीरथराम - II)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.11.21 15:42:03 IST
Reason: SelfAttested